प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक- 05.09.2022

अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय के रोकथाम रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में अप मिश्रित कच्ची शराब के निष्कर्षण व विक्रय के रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी कुँवर गौरव सिंह द्वारा 40 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब 500 ग्राम यूरिया व 200 ग्राम नौसादर व के साथ अभियुक्त आशीष साहनी पुत्र रामउजागीर साहनी निवासी अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2022 धारा 272 आईपीसी एवं 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

आशीष साहनी पुत्र रामउजागीर साहनी निवासी अमरुदमण्डी थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

बरामदगी :-

- 1. लगभग 40 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब
- 2. 500 ग्राम यूरिया
- 3. 200 ग्राम नौसादर

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 258/2022 धारा 272 आईपीसी एवं 60(2) आबकारी अधिनियम थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

- 1. उपनिरीक्षक कुँवर गौरव सिंह थाना राजघाट गोरखपुर
- 2. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार सिंह थाना राजघाट गोरखपुर
- 3. कां.अशोक यादव थाना राजघाट गोरखपुर
- 4. कां0 रवि कुमार थाना राजघाट गोरखपुर